न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,महवा जिला दौसा

मु.नं. 120/2023

1.अनोखी पत्नि विजयसिंह
2.उगन्ती देवी पत्नि बच्चूसिंह } जाति गुर्जर नि.पाटौली तहसील महवा

– प्रार्थिया

बनाम

तहसीलदार,महवा जिला दौसा

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बावत् पत्थरगढी,
धारा 128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः 29.01.2024

प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बावत् पत्थरगढी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम आंतरहेडा तहसील महवा के ख. नं. 147 रकबा 0.74 हैक्टर है। प्रार्थिया औरत है जोकि सीधी सादी तथा कानून में आस्था रखने वाली है जिनकी खातेदारी की उक्त आराजी की प्रार्थिया डोल मेढ कर पत्थरगढी करवाना चाहती है। उक्त आराजी की डोलमेढ करने में आस पडौसी बिना किसी वजह से व्यवधान करते रहते है। गिरोह बनाकर आराजी को हडपना चाहते है। इस हेतु प्रार्थिया ने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से भी निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आने को कहा जिस पर श्रीमानजी के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः तहसीलदार महवा एवं थानाधिकारी थाना महवा की उपस्थिति में सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार करते हुए निशानात कायम करते हुए पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश फरमायें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। हमने प्रार्थिया के वकील एवं सरकार पक्ष की वहस सुनी एवं मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। नकल जमाबंदी ग्राम

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

आंतरहेडा तहसील महवा जिला दौसा में संवत 2072–75 आराजी ख.नं. 102, 147, 93/1, 99/1 कुल किता 4 कुल रकबा 1.71 हैक्टर प्रार्थिया की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है इससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि प्रार्थिया उक्त आराजियात के रिकार्डेड खातेदार है। अतः उक्त निवेदन अनुसार प्रार्थिया की आराजियात की पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया है जो न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र धारा 128 राज.भूराजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र धारा 128 राज.भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर ग्राम आंतरहेडा तहसील महवा जिला दौसा में आराजी ख.नं. 147 रकबा 0.74 हैक्टर का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार महवा को आदेश दिये जाते है कि उक्त आराजी का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने से पूर्व खातेदारों को दिनांक व समय बावत् नोटिस दिया जाकर सूचित किया जावे। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का पूर्ण विवरण अंकित किया जावे तथा पर्चा तैयार किया जाकर सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का पूर्ण विवरण अंकित करें तथा उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी कराये जावें। तहसीलदार महवा को आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल तफदर हो ।

निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलाश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
महवा जिला दौसा